न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 05/2018

1. ओमप्रकाश पुत्र फूसाराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

निगरानीकर्ता

बनाम

1. हरचन्दराम पुत्र श्री चैनाराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के कायम मुकाम

1/1. लादूराम पुत्र हरचन्दराम जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

1/2. सुरेन्द्र पुत्र हरचन्दराम जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

2. ग्राम पंचायत दौलतपुरा पंचायत समिति श्रीगंगानगर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत दौलतपुरा

अप्रार्थी

निगरानी आदेश 04.09.1960 ग्राम पंचायत दौलतपुरा द्वारा खसरा संख्या 102/154 के गोसा ग, घ 701.50 दरगज भूमि 61/– रूपये में गैरसायल सख्या 1 व 2 के पिता श्री हरचन्द राम को विक्रय की गई । आदेश दिनांक 04.09.1960 निरस्त किये जाने हेतू।

उपस्थित : 1. श्री रामसिंह ढाका, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
2. श्री तेजा सिंह, अधिवक्ता, अप्रार्थी 01 से 02

आदेश दिनांकः–18.05.2018

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि '' निगरानी कृत आदेश विधि, पत्रावली एवं न्याय सिद्वान्त के विपरित पारित किया गया है। आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। आबादी भूमि चक 3 क्यू ग्राम पंचायत दौलतपुरा में खसरा सख्या 102/154 के गोसा क,ख,ग,घ कमशः 2130,1116,461,1498,951 कुल मिलाकर 6156 दरगज भूमि गवाड की रिजर्व है। गवाड के नाम से खसरा रजिस्टर में नामान्तरण दर्ज हो चुका है। गवाड की सुरक्षा व रक्षा करना ग्राम पंचायत दौलतपुरा का कर्तव्य है। ग्राम पंचायत दौलतपुरा सार्वजनिक भूमि का ट्रस्टी है कि गवाड में अतिक्रमण , नाजायज कब्जा तथा कोई आवंटन न होने दिया जावे। तथा उसकी सार संभाल करना ग्राम पंचायत का कर्तव्य है। खसरा सख्या 102/154 को आज तक भारत सरकार , राजस्थान सरकार तथा अन्य प्रशासन द्वारा कभी भी गवाड की भूमि से आबादी भूमि में परिवर्तित नहीं किया गया है। गवाड का उपयोग व उपभोग समस्त दौलतपुरा निवासीयान हितबद्व है। प्रार्थी का मकान भी गवाड पर खुलता है इसलिए प्रार्थी भी हितबद्व व्यक्ति है तथा गुवाड से ,प्रभावित व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति है। प्रार्थी हितबद्व प्रभावित और व्यथित होने के कारण निगरानी पेश करने का

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अधिकारी है। गैरसायल हरचन्दराम स्वयं ग्राम पंचायत का सरपंच रहा है उसी वक्त सरपंच था, सरपंच रहते हुए अपने हित में खसरा संख्या 102/154 का गोसा ग व घ का 701.50 दरगज भूमि का बेचान अपने नाम से 61/– रूपये में किया है जो विधि विपरीत है। पंचायत अधिनियम 1954 तथा उसके तहत बने सासमान्य नियम 1956 में आबादी भूमि विक्रय के नियम बने हुए है । नियम 240 से लेकर नियम 271 की पालना करनी अनविार्य होती है। साबिका सरपंच हरचन्दराम ने अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए अपने भाई हेतराम के नाम से बिना दिनांक का अहाता संख्या 102/154 का 1333 दरगज भूमि का आवंटन करवाकर इन्तकाल करवाया है तथा बाद में जरिये बैयनामा स्वयं हरचन्दराम ने खरीद किया है। इस प्रकार हरचन्दराम उपरोक्त 701.50 दरगज भूमि और प्राप्त कर गुवाड की भूमि करीबन 2000 दरगज भूमि से अधिक पर अपना कब्जा बनाये हुए है जो विधि विपरीत है। गुवाड की भूमि पर किसी को भी कब्जा करने, मकान बनाने तथा व्यक्तिगत रूप से अपने लिये उपयोग व उपभोग करने की कानूनन इजाजत नहीं है। कोई भी सरपंच बिना ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पारित किये तथा नियमों की पालना किये बगैर आबादी भूमि का विक्रय अपने हक में नहीं कर सकता है। इस प्रकार विक्रय दिनांक 04.09.1960 प्रारम्भ से ही शून्य है। ऐसे प्रारम्भ से शून्य आदेश से हरचन्दराम को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। हरचन्द राम फौत हो चुका है उसके वारिस गैरसायल संख्या 1/1 लादूराम तथा 1/2 सुरेन्द्रकुमार इस गुवाड की भूमि पर अपना मकान बनाकर निवास कर रहे है तथा उपयोग व उपभोग में ले रहे है। इस गुवाड की भूमि पर लादूराम व सुरेन्द्र को कोई कानूनन अधिकार उत्पन्न नहीं होते है जिससे समस्त ग्रामीण आहत है। मृतक हरचन्दराम के अन्य वारिस भी है इन वारिसों को पक्षकार बनाया जाना कानूनन आवश्यक नहीं है क्योंकि उनका इस भूमि पर कोई कब्जा नहीं है केवल मात्र हरचन्दराम के वारिस लादूराम एवंम सुरेन्द्र कुमार का ही कब्जा है वह ही इस भूमि को उपयोग व उपभोग में ले रहे है। गुवाड की भूमि पर उन्हें कब्जा बनाये रखने का कोई वादाधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत दौलतपुरा के आदेश दिनांक 04.09.1960 का प्रार्थी को कभी कोई ज्ञान नहीं था, केवल मात्र इतना ध्यान था कि गैरसायलान ने गुवाड की भूमि पर नाजायज कब्जा किया हुआ है तथा नाजायज कब्जा हटाये जाने बाबत कई जगह प्रार्थना पत्र भी पेश किये है। अदालतवाला द्वारा अनवानी निगरानी ओमप्रकाश बनाम लादूराम वगैरा निगरानी संख्या 24/2017 में ग्राम पंचायत द्वारा रिकार्ड मंगवाने पर दिनांक 29.01.2018 को ग्राम पंचायत द्वारा रिकॉर्ड पेश किया गया जिसे रजिस्टर संख्या 56 पेश किया, जिसके पेज संख्या 4 पर निम्नलिखित दर्ज है ''हरचन्द राम ने अहाता संख्या 102 गोसा ग व घ का तादादी 701.1/2 दरगज के 61/– रूपया जमा करवाये जिसका रोकड पाना संख्या 63 पर दर्ज है''। लिहाजा निगरानी पेश कर अर्ज है कि निगरानी सायल स्वीकृत फरमाई जाकर मातहत अदालत का आदेश दिनांक 04.09.1960 निरस्त फरमाया जावे तथा गुवाड की भूमि को खाली करवाया जावे।

निगरानी से संबंधित रिकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि '' आबादी भूमि चक 3 क्यू ग्राम पंचायत दौलतपुरा में

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

खसरा सख्या 102/154 के गोसा क,ख,ग,घ क्रमशः 2130,1116,461,1498,951 कुल मिलाकर 6156 दरगज भूमि गवाड की रिजर्व है। गवाड के नाम से खसरा रजिस्टर में नामान्तरण दर्ज हो चुका है। गवाड की सुरक्षा व रक्षा करना ग्राम पंचायत दौलतपुरा का कर्तव्य है। ग्राम पंचायत दौलतपुरा सार्वजनिक भूमि का ट्रस्टी है कि गवाड में अतिक्रमण , नाजायज कब्जा तथा कोई आवंटन न होने दिया जावे। तथा उसकी सार संभाल करना ग्राम पंचायत का कर्तव्य है। खसरा सख्या 102/154 को आज तक भारत सरकार , राजस्थान सरकार तथा अन्य प्रशासन द्वारा कभी भी गवाड की भूमि से आबादी भूमि में परिवर्तित नहीं किया गया है। गवाड का उपयोग व उपभोग समस्त दौलतपुरा निवासीयान हितबद्व है। प्रार्थी का मकान भी गवाड पर खुलता है इसलिए प्रार्थी भी हितबद्व व्यक्ति है तथा गुवाड से ,प्रभावित व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति है। प्रार्थी हितबद्व प्रभावित और व्यथित होने के कारण निगरानी पेश करने का अधिकारी है। गैरसायल हरचन्दराम स्वयं ग्राम पंचायत का सरपंच रहा है उसी वक्त सरपंच था, सरपंच रहते हुए अपने हित में खसरा संख्या 102/154 का गोसा ग व घ का 701.50 दरगज भूमि का बेचान अपने नाम से 61/– रूपये में किया है जो विधि विपरीत है। पंचायत अधिनियम 1954 तथा उसके तहत बने सासमान्य नियम 1956 में आबादी भूमि विक्रय के नियम बने हुए है । नियम 240 से लेकर नियम 271 की पालना करनी अनविार्य होती है। साबिका सरपंच द्वारा हरचन्दराम ने अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए अपने भाई हेतराम के नाम से बिना दिनांक का अहाता संख्या 102/154 का 1333 दरगज भूमि का आवंटन करवाकर इन्तकाल करवाया है तथा बाद में जरिये बैयनामा स्वयं हरचन्दराम ने खरीद किया है। इस प्रकार हरचन्दराम उपरोक्त 701.50 दरगज भूमि और प्राप्त कर गुवाड की भूमि करीबन 2000 दरगज भूमि से अधिक पर अपना कब्जा बनाये हुए है जो विधि विपरीत है। गुवाड की भूमि पर किसी को भी कब्जा करने, मकान बनाने तथा व्यक्तिगत रूप से अपने लिये उपयोग व उपभोग करने की कानूनन ईजाजत नहीं है। कोई भी सरपंच बिना ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पारित किये तथा नियमों की पालना किये बगैर आबादी भूमि का विक्रय अपने हक में नहीं कर सकता है। इस प्रकार विक्रय दिनांक 04.09.1960 प्रारम्भ से ही शून्य है। ऐसे प्रारम्भ से शून्य आदेश से हरचन्दराम को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। हरचन्द राम फौत हो चुका है उसके वारिस गैरसायल संख्या 1/1 लादूराम तथा 1/2 सुरेन्द्रकुमार इस गुवाड की भूमि पर अपना मकान बनाकर निवास कर रहे है तथा उपयोग व उपभोग में ले रहे है। इस गुवाड की भूमि पर लादूराम व सुरेन्द्र को कोई कानूनन अधिकार उत्पन्न नहीं होते है जिससे समस्त ग्रामीण आहत है। मृतक हरचन्दराम के अन्य वारिस भी है इन वारिसों को पक्षकार बनाया जाना कानूनन आवश्यक नहीं है क्योंकि उनका इस भूमि पर कोई कब्जा नहीं है केवल मात्र हरचन्दराम के वारिस लादूराम एवंम सुरेन्द्र कुमार का ही कब्जा है वह ही इस भूमि को उपयोग व उपभोग में ले रहे है। गुवाड की भूमि पर उन्हें कब्जा बनाये रखने का कोई वादाधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत दौलतपुरा के आदेश दिनांक 04.09.1960 का प्रार्थी को कभी कोई ज्ञान नहीं था, केवल मात्र इतना ध्यान था कि गैरसायलान ने गुवाड की भूमि पर नाजायज कब्जा किया हुआ है तथा नाजायज कब्जा हटाये जाने बाबत कई जगह प्रार्थना पत्र भी पेश किये है। अदालतवाला द्वारा अनवानी निगरानी ओमप्रकाश बनाम लादूराम वगैरा निगरानी संख्या 24/2017 में ग्राम पंचायत द्वारा रिकार्ड

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

मंगवाने पर दिनांक 29.01.2018 को ग्राम पंचायत द्वारा रिकॉर्ड पेश किया गया जिसे रजिस्टर संख्या 56 पेश किया, जिसके पेज संख्या 4 पर निम्नलिखित दर्ज है "हरचन्द राम ने अहाता संख्या 102 गोसा ग व घ का तादादी 701.1/2 दरगज के 61/– रूपया जमा करवाये जिसका रोकड पाना संख्या 63 पर दर्ज है"। लिहाजा निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर मातहत अदालत के आदेश को निरस्त फरमाया जावें।

दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने निम्न नजीरे पेश की है:–

1- The RAJASTHAN REVENUE CASES DIGEST पेज– 456
2- आर.आर.सी.–2004 पेज–664
3- आर.आर.सी. –2003 पेज–473
4- आर.आर.डी.– 1984 पेज– 800
5- आर.आर.टी.–2015(2) पेज–967
6- डी.एन.जे. –1995 पेज–498

क्रमांक 4 पर अंकित दृष्टांत एफिडेबिट के सम्बन्ध में है और प्रथम तीन दृष्टांत तो केवल राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार को दर्शाते है। हस्तगत निगरानी पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत होने से राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार में न होकर राज्य सरकार के द्वारा प्रत्यायोचित शक्तियों के प्रयोग में इस न्यायालय द्वारा विचाराणीय है।

5. आर.आर.टी.–2015(2) पेज–967

"निगरानी क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र अपास्त नहीं किया जा सकता– सिविल वाद उचित उपचार था"

यह दृष्टांत हस्तगत निगरानी के सम्बन्ध में इस रूप में सहायक है कि उक्त भूमि "अहाता संख्या 102 गोसा ग व घ का तादादी 701.50 दरगज भूमि के सम्बन्ध में कोई रजि. विकय पत्र निस्तारित नहीं हुआ है। लिहाजा निगरानी विचारनीय है।

6. डी.एन.जे. –1995 पेज–498

पुराने पंचायत नियमों में आबादी भूमि के विकय सम्बन्धी प्रकिया दी हुई है जिसकी पालना हस्तगत निगरानी में नहीं होना पाया है।

गैरनिगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत का आदेश वर्ष 1960 का है जबकि निगरानी वर्ष 2018 में करीब 58 वर्ष बाद पेश की गई । अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बताया कि निगरानी के पैरा संख्या 7 में लिखा है कि पहले सिविल कोर्ट में दावा किया था एवं प्रार्थी द्वारा लोकायुक्त में भी शिकातय की थी। इस प्रकार तथ्यो की जानकारी थी, अतः निगरानी मियाद से बाहर है। निगरानी मियाद से बाहर होने से मियाद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावें। पंचायत एक्ट में अदालतवाला को निगरानी सुनने का आधार **अलामेन्ट के खिलाफ** है, खरीददार के विरूद्व नहीं है। इसलिए निगरानी मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण काबिल निरस्त है। अधिवक्ता गैरनिगरानी कर्ता ने नजीर संख्या–1 आर.आर.टी 2015(2) पेज–967 " **राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 97– विकय पत्र का निष्पादन–6 वर्ष तक आवंटन को चुनौती नहीं देने के लिये स्पष्टीकरण नहीं–19.01.1999 को भूमि विकय की –निगरानी क्षैत्राधिकारिता के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र अपास्त नहीं किया जा सकता–सिविल वाद उचित उपचार था**–तथ्य के प्रश्न अन्तर्ग्रस्त–निर्णीत,

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

स्पेशल अपील खारिज की'' पेश कर अपनी बहस में कथन किया कि पट्टा रजिस्टर्ड हो जाए तो उसको निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावें।

दौराने बहस अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता ने निम्न नजीरे पेश की हैः—

1. डी.एन.जे. —2015(4) पेज—1853

> राजस्थान पंचायती राज अधिनियमश 1994—धारा 97—24 वर्ष बाद आवंटित भूमि का पट्टा निरस्त करने हेतु निगरानी पेश की—अधिनियम के परिसीमा का प्रावधान नहीं— असामान्य विलम्ब के बाद निगरानी ग्रहण नहीं की जा सकती—युक्तियुक्त समय में पक्षकार को निगरानी पेश करनी चाहिये और सिविल कार्यवाही पेश करने हेतु अवधि दिशा निर्देश कारक होनी चाहिए।

2. डी.एन.जे. —2009(1) पेज—194

> राजस्थान पंचायती राज अधिनियम , 1994—धारा 97—पट्टा का निरस्तीकरण—ग्राम पंचायत में आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की—ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाये बिना रेस्पोण्डेण्ट ने निगरानी पेश की —ग्राम पंचायत आवश्यक पक्षकार थी— भूमि की शिनाख्तगी के सम्बन्ध में सही तथ्य जिला कलेक्टर के ध्यान में नहीं लाये गये।

निगरानीधीन अहाता के 701.50 दरगज भूमि के सम्बन्ध में पंचायत का कोई आदेश रिकॉर्ड पर नहीं है लिहाजा निगरानीकार के ज्ञान में आने के बाद प्रस्तुत निगरानी मियाद के भीतर शुमार की जाती है। गैरानिगरानीकार का यह कथन भी अभिलेख के अभाव में मान्य नहीं है कि उक्त भूमि का गैरनिगरानीकार के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय हुआ है। इसमे न तो कोई अलॉटमेंट है और न ही कोई विक्रय पत्र ही है।

हस्तगत निगरानी में प्रश्नगत भूखण्ड का आवंटन ग्रांम पंचायत द्वारा कीमतन किये जाने बाबत कोई अंकन खसरा रजिस्टर अभिलेख में नहीं है। इससे आवंटन प्रमाणित नहीं है। परन्तु एक अन्य आवंटित भूखण्ड का रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 06.07.1959/21.04.1960 को गैर निगरानीकर्ता 1/1 व 1/2 के पिता हरचंदराम के पक्ष में उसके भाई हेतराम पुत्र चैनाराम द्वारा किया जाना भी पत्रावली पर है। खसरा रजिस्टर 3 क्यू ग्राम पंचायत दौलतपुरा का अवलोकन किया। इसमें खसरा नम्बर 102/154 गोसा क से घ गुवाड अंकित है। इसमें से किला नम्बर 102 गुवाड में से गोसा ग व घ का हिस्सा 1333 दरगज हेतराम वल्द चैनाराम को हुक्म पंचायत तारीख शुन्य को कीमतन 40/—रूपये में अलॉट हुआ। यह अंकन कैफियत में स्पष्ट है। निगरानीधीन आदेश दिनांक 4.9.1960 ग्राम पंचायत दौलतपुरा द्वारा इसी खसरा नम्बर 102/154 के गोसा ग व घ का 701.50 दरगज भूमि 61/— रूपये में हरचन्दराम को विक्रय किये जाने बाबत खसरा रजिस्टर में कोई अंकन नहीं पाया गया है। इसकी प्रविष्टि केवल ग्राम पंचायत दौलतपुरा द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख में रजिस्टर नं. 56 के पृष्ट —4 (खाता विक्रय भूमि) तारीख 04.09.1960 में इस रूप में पाई गई है—'' **हरचन्दराम ने अहाता नम्बर 102 गोसा ग व घ का तादादी 701.50 दरगज के 61 रूपये जमा कराये।**'' इसके अलावा किसी भी प्रकार का विवरण ग्राम पंचायत दौलतपुरा के रिकॉर्ड में नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि इस प्रविष्टि का कोई भी आधार नहीं है। निगरानीकार द्वारा किये गए कथन कि इस आदेश के सम्बन्ध में गैर निगरानीकार के पिता को भूमि विक्रय /आवंटन बाबत नियमों में विहित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है, प्रमाणित है। इस प्रविष्टि से गैर निगरानीकार के पिता हरचन्द को कौनसा

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

पट्टा और किन हदूदों से आबद होकर जारी हुआ है , का कोई विवरण भी नहीं है। पट्टे के अभाव में इस निगरानी को पूर्णतः स्वीकार करना और ग्राम पंचायत के इससे सम्बन्धित कोई आदेश विद्यमान न होने के कारण निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत दौलतपुरा को आदेश दिये जाते है कि वह रजिस्टर नम्बर 56 में उक्त प्रविष्टि के आधार पर गैरनिगरानीकार यदि खसरा नम्बर 102/154 की गुवाड़ की भूमि के गोशा ग व घ के बारे में कोई दावा, यदि अन्य किसी रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर प्रोद्भूत स्वामित्व के अलावा करते हों, तो उसे ग्राहय नहीं करे, मान्य नहीं करें। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भेजी जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावें

आदेश आज दिनांक 18.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/5/18

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्री गंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)